

प्रेस नोट-
थाना बडागांव, झाँसी

दिनांक- 11.08.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- 28 पाउच रसभरी ब्रान्ड के देशी क्वार्टर (मात्रा 5.6 लीटर) व 50 पन्नी पाउच कच्ची शराब (मात्रा 10 लीटर) कुल 15.6 लीटर अवैध देशी व कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 11.08.2025 को थाना बडागाँव पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त चतुर सिंह पुत्र कालीचरन नि0ग्राम गगांवली थाना बडागांव जिला झांसी उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 28 पाउच रसभरी ब्रान्ड के देशी क्वार्टर (प्रत्येक 200 मिली0, कुल मात्रा 5.6 लीटर) व 50 पन्नी पाउच कच्ची शराब (प्रत्येक में लगभग 200 एम0एल0, कुल शराब मात्रा 10 लीटर कच्ची) कुल 15.6 लीटर अवैध देशी शराब व अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- चतुर सिंह पुत्र कालीचरन नि0ग्राम गगांवली थाना बडागांव जिला झांसी उम्र करीब 45 वर्ष

बरादमगी - 28 पाउच रसभरी ब्रान्ड के देशी क्वार्टर (प्रत्येक 200 मिली0, कुल मात्रा 5.6 लीटर) व 50 पन्नी पाउच कच्ची शराब (प्रत्येक में लगभग 200 एम0एल0, कुल शराब मात्रा 10 लीटर कच्ची) कुल 15.6 लीटर अवैध देशी शराब व अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. श्री संजय कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक थाना बडागांव जिला झांसी ।
2. उ0नि0 श्री अनुज यादव, थाना बडागांव जिला झाँसी ।
3. का0 100 चन्द्रशेखर, थाना बडागांव जिला झांसी ।
4. म0का0 1260 रचना चाहर, थाना बडागांव जिला झांसी ।